25.07.2024

प्रार्थिया की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश खन्ना उपस्थित। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से अधिवक्ता श्री अविनाश शर्मा, अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह, अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के.खोरवाल, अप्रार्थी संख्या–5 श्री बसंत विजयवर्गीय व अप्रार्थी संख्या–6 की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक पाराशर उपस्थित।

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 4 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं.दिनांकित 04.11.2022, अप्रार्थी संख्या–5 के विधिक वारिस ज्ञानचन्द की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10ए व्य.प्र.सं. पर बहस सुनी गई।

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 4 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या–5 मुन्नी देवी की मृत्यु हो गई है, जिसके वारिसान ज्ञानचन्द व सविता अग्रवाल हैं, जिन्हें मृतका जरिये विधिक वारिसान पक्षकार के रूप में प्रकरण में प्रतिस्थापित किया जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या–5 मुन्नी देवी की मृत्यु दिनांक 23.06.2022 को हो गयी थी, जबकि हस्तगत प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.11.2022 को 90 दिवस की अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

मृतका मुन्नी देवी के वारिस ज्ञानचन्द की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10ए व्य.प्र.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या–5 मुन्नी देवी उसकी पत्नी का स्वर्गवास दिनांक 23.06.2022 को हो गया, जिसके वारिसान ज्ञानचन्द अग्रवाल वह स्वयं, संजय अग्रवाल व सविता अग्रवाल है, जिन्हें अप्रार्थी संख्या–5 के वारिसान के रूप में अभिलेख पर लिया जावे।

उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मृतका मुन्नी देवी अपनी मृत्यु के पश्चात अपने पति ज्ञानचन्द व पुत्री सविता अग्रवाल को छोड़कर गई है। संजय अग्रवाल मुन्नी देवी का पुत्र है, जो मृतका के जीवनकाल में ही गोद चला गया था, मृतका की मृत्यु के पश्चात उसका मुन्नी देवी की चल अचल सम्पत्ति पर कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. में वर्णित वारिसान

ज्ञानचन्द अग्रवाल व सविता अग्रवाल को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–5 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थिया की ओर से मूल प्रार्थना–पत्र मृतक विजय अग्रवाल द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्तियों को प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की मांग की गई है। दौराने सुनवाई प्रकरण मृतक की माता अप्रार्थी संख्या–5 मुन्नीदेवी का दिनांक 23.06.2022 को देहान्त होना बताया गया है। प्रार्थिया की ओर से मृतका के विधिक वारिसान में मृतका का पति ज्ञानचन्द अग्रवाल व श्रीमती सविता अग्रवाल होना बताया गया है, जबकि मृतका के पति की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में मृतका के वारिसान में मृतका का पति ज्ञानचन्द, पुत्र संजय अग्रवाल व पुत्री सविता अग्रवाल होना बताया गया है। दोनों पक्षों की ओर से यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका का पति ज्ञानचन्द व पुत्री सविता है। जहां तक प्रार्थिया द्वारा संजय अग्रवाल का गोद जाना बताते हुए, उसे मृतका का विधिक वारिस नहीं होना बताया गया है। इस स्तर पर संजय अग्रवाल मृतका का गोद जाने से विधिक वारिस है या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई विवेचन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

यह सुस्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या–5 मुन्नीदेवी की मृत्यु दिनांक 23.06.2022 को होना बताया गया है, इस सम्बन्ध में उसका मृत्यु प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी उसकी मृत्यु की दिनांक 23.06.2022 अंकित है। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया है।

अतः प्रार्थिया व मृतका मुन्नी देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाकर मृतका के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाता है। प्रार्थिया को आदेशित किया जाता है कि संशोधित शीर्षक पेश करें।

सविका अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता श्री बसन्त कुमार विजयवर्गीय ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली रहे।

पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक दिनांक 07.08.2024 को पेश हो।

न्यायालय–जिला न्यायाधीश, अजमेर (राज.)
दीवानी विविध संख्या 32/2019
सीमा अग्रवाल बनाम शाखा प्रबन्धक, केनरा बैंक व अन्य